संख्या–38/XXIV(1)/2010–52/2009

प्रेषक,

डा0राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः ०१ जनवरी,2010

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–2010 में प्रारम्भिक शिक्षा की योजनाओं के संचालन हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–73265/5क(14)/01/2009–10, दिनांक 01.12.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण योजनान्तर्गत कुल रू0 85,00,00,000/– (रूपये पिचासी करोड़ मात्र) और सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0नर्सरी विद्यालयों को सहायता योजनान्तर्गत कुल रू0 05,00,00,000/– (रूपये पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2009–10 में अब तक स्वीकृति कुल धनराशि के अतिरिक्त है।

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के कार्यान्यवयन हेतु नही किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगाः–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त हो जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

(4) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्याधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(5) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों की विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये। उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(8) अवशेष धनराशि की जिलावार फॉट एवं अनुदान संबंधी योजनाओं के गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र इसी माह के अन्त तक शासन को प्रस्तुत कर दिये जाये, तभी अवशेष धनराशि की स्वीकृत निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनेत्तर–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण–00–01–वेतन एवं आयोजनेत्तर–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–0702–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0नर्सरी विद्यालयों को सहायता–43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–05/XXVII(1)/2010, दिनांक 07.01.2010 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्द्रानगर, देहरादून।

3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से)।
4. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से)।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ०पी०तिवारी)
उप सचिव।